

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए</p>
<p>26.06-22</p>	<p>वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिखा है। पेशी इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 09.06.22 को पेश हो।</p>	
<p>09/07/22</p>	<p>प.ओ. सा. बाहर पधार है। पेशी इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 06(07)22 को पेश हो।</p>	
<p>06(07)22</p>	<p>न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिखा है। पत्रावली दिनांक 14.07.22 को पेश हो।</p>	
<p>14(07)22</p>	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 19(07)22 को पेश हो।</p>	
<p>19(07)22</p>	<p>वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिखा है। पेशी इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 02/08/22 को पेश हो।</p>	
<p>02/08/22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अर्जी उप. वकील अर्जी उप. जिन्होंने वरस हेतु आवस्यता जो न्यायस्थल में दिमा जाकर पत्रावली वास्तु आईदा वरस दि. 16.08.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पावली</p>	
<p>16.08.2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अर्जी उप. जिन्होंने जारी किया कि प्राची धनसिंह का निधन 2 माह पूर्व हो चुका है प्राची के विधिवत वारिसान को मुझ अधिवक्ता द्वारा टेलिफोनिक इतिहास की गई लेकिन प्राची के परिवार वाले पक्षकार बनना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मृतक प्राची के कांभु के अभाव में निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फलतः शुमार खेड नम्बर से चला हो। मुलू रेड्ड संबंधित गांव पं० की लीटाया जावे।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पावली</p>	<p style="text-align: right;">16/8/2022</p>